बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0—9/आ0—04—11/2024(स्वा0)........................../ पटना, दिनांकः—..................................

डा0 अवधेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, लखीसराय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा दिनाक—10.08.2024 द्वारा संस्थान के औचक निरीक्षण के दौरान दिनांक—10.08.2024 को अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय ज्ञापन सं0—1070(9) दिनांक—25.10.2024 द्वारा डा0 कुमार से आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

3. डा0 कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित कर अवगत कराया गया है कि दिनाक—10.08.2024 को उनका कर्त्तव्य इनडोर वार्ड में निर्धारित था। उक्त तिथि को तबियत ज्यादा खराब होने के कारण उनके द्वारा सिर्फ वार्ड में भर्त्ती मरीज का ईलाज किया गया। तबियत ज्यादा खराब होने के कारण जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नही हो सके।

4. विभागीय पत्रांक—94(9) दिनांक—27.01.2025 द्वारा डा0 अवधेश कुमार के स्पष्टीकरण पर सिविल सर्जन, लखीसराय से मतव्य की मॉग की गयी। तदालोक मे सिविल सर्जन, लखीसराय के पत्रांक—355 दिनाक—11.03.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि डा0 अवधेश कुमार द्वारा दिनाक—10.08.2024 को आई०पी०डी० में भर्त्ती मरीज का ईलाज किया गया है।

5. फलतः डा0 कुमार द्वारा अन्तवार्सी कक्ष मे कार्य करने से संबधित अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। डा0 कुमार के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0—1070(9) दिनांक—25.10.2024 द्वारा गठित आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया है।

7. अतएव डा0 अवधेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय के विरूद्ध दिनाक—10.08.2024 को अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—04—08/2024(स्वा0)....844(9)..../पटना, दिनांकः—24.7.25..........

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/सबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, लखीसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ मत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—डा0 अवधेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/2025

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/07/2025

सरकार के अवर सचिव।